तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
5/2/24	वकुलाय उपस्थित। बहस हेतु अवसर चाहा। मिसल वास्ते बहस दिनांक 5/3/24 को पेश हो।
5/3/24	आज अभिभाषक परिषद द्वारा कार्य स्थगित रखा गया है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 18/03/24 को पेश हो।
18/03/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित है। पीठासीन अधिकारी महो० ...राजकार्य में व्यस्त है। मिसल साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक..06.05.24 को पेश हो। रीडर
06/05/24	वकुलाय उपस्थित। बहस हेतु पुनः अवसर चाहा। मिसल वास्ते बहस दिनांक 13/05/24 को पेश हो।
13/5/24	वकुलाय उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई। मिसल वास्ते आदेश दिनांक 20/5/24 को पेश हो।
20/5/24	वकुलाय उपस्थित। पत्रावली आज आदेश हेतु पेश हुई। दौराने बहस वकील प्रार्थिया कथन रहा कि श्रीमती मीना पुत्री नंदकिशोर महाजन निवासी बून्दी हाल निवासी कोटा द्वारा एक अपील संख्या 78/2021 इस

पत्र सं. 109/2022 श्रीमती स्वाति अग्रवाल बनाम मीना अग्रवाल

वगै० A 3/3

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय में दायर की गई थी, उक्त अपील में प्रार्थियां श्रीमती स्वाति अग्रवाल को रेस्पो. सं. 5 बनाया गया। जिसमें रेस्पो.सं. 5 की प्रोपर तामील नहीं करवाई गई। रेस्पो. सं. 5 को सम्मन रजिस्टर्ड एडी भिजवाया गया, जिस पर मकान पर ताला लगा हुआ अंकित कर वापस लौटा दिया गया। इसके बाद अपीलांट द्वारा प्रार्थियां को दोबारा रजिस्टर्ड एडी सम्मन नहीं भिजवाया गया, बल्कि रेस्पो.सं. 5 का सम्मन अखबार में छापा करवाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश कर, दिनांक 18/2/22 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित करवाया गया, जिसमें आगामी पेशी दिनांक 21/2/22 नियत की गई। अखबार में आम सूचना प्रकाशित होने के एक माह के पूर्व ही प्रार्थिया जैसी महत्वपूर्ण पक्षकार के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश जल्दबाजी में पारित किये गये। प्रार्थियां को सुने बिना कानून की मंशा की विपरीत एकपक्षीय कार्यवाही के आधार पर एकतरफा निर्णय दिनांक 22/3/22 पारित किया गया, जिससे प्रार्थियां के विधिक अधिकारों का हनन हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया जाकर उक्त एकतरफा निर्णय अपास्त किया जावे तथा प्रार्थिया को सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिया जाकर उक्त अपील में बाद सुनवाई निर्णय पारित किया जाने का निवेदन किया गया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण के तर्क रहे कि प्रार्थियां को अपील में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी. पेश करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अपील में दावें की तरह उक्त कार्यवाही का प्रावधान नहीं है। अपील में रेस्पो० सं.5 का रजिस्टर्ड एडी सम्मन कई बार मकान पर तलाश किये जाने के बाद ताला लगा मिलने पर अन डिलिवर्ड लौटाया गया। तत्पश्चात सम्मन दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया गया। इसमें प्रार्थियां द्वारा आपत्ति प्रकट की गई कि दिनांक 18/2/22 को सम्मन अखबार में छापा करवाते ही दिनांक 21/2/22 को रेस्पो० सं.5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किया गया, जो विधि विरूद्ध है, लेकिन प्रार्थियां की ओर से ऐसा कोई विधिक प्रावधान नहीं पेश किया गया, जिसमें सम्मन अखबार में छापा होने के बाद एक माह तक एकपक्षीय कार्यवाही नहीं किये जाने का प्रावधान हो। इस प्रकार न्यायालय द्वारा पक्षकारों की कानूनी प्रक्रियां के तहत तामील करवाई जाकर विधिक प्रावधानों की पालना में दिनांक 22/03/22 को निर्णय पारित कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया है, जो उचित है। ऐसे में प्रार्थियां का प्रार्थनापत्र सारहीन होने से खारिज किया जावें।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र प्राथिया एवं अपील की पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे जाहिर आया कि नामा॰सं. 1208 दिनांक 28/10/21 ग्राम कुवांरती के विरुद्ध इस न्यायालय में अपील संख्या 78/2021 बउनवान श्रीमती मीना महाजन बनाम मंजू माहेश्वरी वगै॰ दिनांक 23/11/21 को दर्ज रजिस्टर की गई। जिसमें आगामी पेशी दिनांक 20/12/21 नियत की जाकर रेस्पो॰ सं. 1 लगायत 7 जरिये रजिस्टर्ड एडी सम्मन तलब किये गये। उक्त पेशी पर रेस्पो.सं.5 का रजिस्टर्ड एडी सम्मन "बार-बार जाने पर भी प्राप्तकर्ता के घर पर ताला लगा हुआ मिलता है" की रिपोर्ट सहित अनडिलिवर्ड लौट आया। तब अपीलांट के प्रार्थना पत्र दिनांक 04-01-22 पर रेस्पो॰सं॰5 का सम्मन अखबार में साया करवाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। जिसकी पालना में अपीलांट द्वारा दिनांक 31/01/22 को सम्मन पेश किया गया। जो आगामी नियत पेशी दिनांक 21/2/22 को रेस्पो॰सं॰5 के उपस्थित न्यायालय आने बाबत जारी किया गया। उक्त सम्मन दैनिक भास्कर समाचार पत्र मे दिनांक 18/02/22 को प्रकाशित करवाया जाकर अखबार की प्रति पेशी दिनांक 21/2/22 को वकील अपीलांट द्वारा पेश की गई।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	नियत पेशी पर बार बार आवाजें लगवाये जाने के उपरान्त भी रेस्पो०सं. 5 के उपस्थित न्यायालय नहीं आने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात् पत्रावली पर दिनांक 28/2/22 एवं 15/3/22 पेशियां नियत की गई। इस प्रकार स्पष्ट है कि पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर बाद सुनवाई अपील में दिनांक 22/03/22 को निर्णय पारित किया गया। यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उक्त निर्णय से प्रार्थियां का सुनवाई का अवसर समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिये जाने हेतु रिमाण्ड किया गया है। इससे नामान्तरण कार्यवाही में प्रार्थियां का सुनवाई का अधिकार सुरक्षित रहने से अपील में एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त करने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थियां को अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष / साक्ष्य पेश कर न्यायोचित राहत प्राप्त करनी चाहिए। इस प्रकार प्रार्थियां का हस्तगत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी. स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। मूल अपील पत्रावली अभिलेखागार में लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।
	sd/-
	जिला कलेक्टर, बून्दी